अध्याय 3

ईंधन और वस्तुसूची प्रबंधन

अध्याय 3

ईंधन और वस्तुसूची प्रबंधन

ईंधन लागत विद्युत उत्पादन की कुल लागत का प्रमुख घटक है। इसलिए किफायती दरों पर विद्युत उत्पन्न करने के लिए खरीद और खपत की प्रभावी और कुशल योजना के माध्यम से ईंधन लागत का अनुकूलन आवश्यक है। ईंधन प्रबंधन में लेखापरीक्षा परिणामों पर निम्नानुसार चर्चा की गई है।

3.1 कोयले की अधिक खपत

कोयला खपत इसके सकल कैलोरी मान और थर्मल प्लांट की दक्षता पर निर्भर करती है। कोयले के कम सकल कैलोरी मान और संयंत्र की उच्च स्टेशन ताप दर[1] के परिणामस्वरूप कोयले की अधिक खपत होगी। हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग पिछले वर्ष के दौरान संयंत्र में प्राप्त कोयले के औसत सकल कैलोरी मान और संयंत्र की स्टेशन ताप दर को ध्यान में रखते हुए अपने टैरिफ आदेशों के माध्यम से हर साल मानक कोयला खपत निर्धारित करता है। लेखापरीक्षा ने कंपनी के तीनों विद्युत संयंत्रों के कोयला खपत पैटर्न का विश्लेषण किया और पाया कि यह 2019-20 और 2020-21 के दौरान राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट (यूनिट-II) को छोड़कर सभी यूनिटों में हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अनुमोदित मानदंडों के भीतर था, जैसा कि नीचे दिया गया है

तालिका 3.1: कोयले की मानक खपत की तुलना में कोयले की वास्तविक खपत को दर्शाने वाला विवरण

वर्ष	कोयले का सकल कैलोरी मान		विद्युत उत्पादन (मिलियन यूनिट में)	वास्तविक उत्पादन के लिए मानक कोयला खपत (मीट्रिक टन में)	वास्तविक कोयला खपत (मीट्रिक टन में)	अतिरिक्त कोयला खपत (मीट्रिक टन में)	कोयले की लागत प्रति मीट्रिक टन	अतिरिक्त कोयले की लागत (₹ करोड़ में)
	अनुमोदित	वास्तविक						
2019-20	3,641	3,461	1,547.17	10,74,189.22[2]	10,88,244.96	14,055.74	4,879	6.86
2020-21	3,539	3,378	405.92	2,90,616.81[3]	2,93,776.31	3,159.50	5,142	1.62
कुल						**17,215.24**		**8.48**

स्रोत: कंपनी द्वारा प्रदान की गई जानकारी और हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग टैरिफ आदेश

यह अवलोकित किया गया कि कोयले के कम सकल कैलोरी मान और संयंत्र की कम दक्षता के कारण कोयला खपत हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग मानदंडों से अधिक थी। प्राप्त कोयले का वास्तविक सकल कैलोरी मान 2019-20 और 2020-21 के दौरान 3,641 और 3,539 के मानदंडों की तुलना में क्रमशः 3,461 और 3,378 था। साथ ही, इस अवधि के दौरान संयंत्र की स्टेशन ताप दर 2,387 किलो कैलोरी/किलोवाट प्रति घंटा (अध्याय 2 की तालिका 2.5 देखें) की तुलना में 2,442 और 2,461 किलो कैलोरी/किलोवाट प्रति घंटा अधिक रही। लेखापरीक्षा ने यह भी अवलोकित किया कि 2013 के दौरान और अब सितंबर 2020 से

---

1 स्टेशन हीट रेट एक यूनिट बिजली उत्पन्न करने के लिए अपेक्षित ईंधन (गर्मी) की मात्रा को इंगित करता है।

2 4,199.54 मिलियन यूनिट बिजली के उत्पादन के लिए 29,15,711 मीट्रिक टन की मानक कोयला खपत के अनुपात में परिगणित।

3 4,199.54 मिलियन यूनिट बिजली के उत्पादन के लिए 30,06,644 मीट्रिक टन की मानक कोयला खपत के अनुपात में परिगणित।

रोटर की क्षति के कारण यूनिट-II बंद रही। इसके परिणामस्वरूप 2019-21 के दौरान ₹ 8.48 करोड़ मूल्य के 17,215.24 मीट्रिक टन कोयले की अधिक खपत हुई। खपत किए गए अतिरिक्त कोयले की लागत कंपनी को प्रत्यक्ष हानि थी क्योंकि इसे टैरिफ के माध्यम से वसूल नहीं किया जा सकता था।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (मई 2022) कि उन्हें प्रचलित नियमों के अनुसार घाटा उठाना पड़ा। अब हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग द्वारा नियमों में संशोधन (मार्च 2022) किया गया है, इसलिए, अतिरिक्त कोयले की खपत के कारण होने वाले नुकसान का दावा किया जाएगा और टैरिफ के माध्यम से वसूल किया जाएगा। हालांकि, तथ्य यह है कि कंपनी 2016-21 के दौरान कोयले की खपत के मानदंडों का पालन करने में विफल रही और उसे घाटा हुआ।

3.2 द्वितीयक ईंधन की अधिक खपत

थर्मल पावर प्लांटों में बॉयलर को जलाने के लिए कोयले के अलावा डीजल और फर्नेस ऑयल का इस्तेमाल द्वितीयक ईंधन के रूप में भी किया जाता है। ईंधन तेल की खपत सीधे संयंत्र को चालू करने/बंद करने की संख्या के समानुपाती होती है। हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग ने कंपनी के सभी थर्मल प्लांटों के संबंध में प्रत्येक वर्ष के लिए ईंधन तेल हेतु मानक खपत दर (मिलीलीटर/किलोवाट घंटा) निर्धारित की थी। अधिक खपत वाली यूनिटों के संबंध में हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग मानदंडों की तुलना में ईंधन तेल की वास्तविक खपत की स्थिति निम्नानुसार थी:

तालिका 3.2: तेल की मानक खपत की तुलना में वास्तविक खपत को दर्शाने वाले विवरण

संयंत्र का नाम	यूनिट	वर्ष	वास्तविक उत्पादन (मिलियन यूनिट में)	विशिष्ट तेल खपत (मिलीलीटर/किलोवाट घंटा)			कुल अतिरिक्त खपत (किलोलीटर में)	हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अनुमोदित मूल्य प्रति किलोलीटर	कुल लागत (` करोड़ में)
				हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अनुमोदित	वास्तविक	आधिक्य			
राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट	I	2020-21	1,230.98	0.5	0.649	0.149	183.41	51,156.00	0.93
	II		405.93	0.5	1.700	1.200	487.11	51,156.00	2.49
						कुल (क)	**670.52**		**3.42**
पानीपत थर्मल पावर स्टेशन	V	2016-17	169.215	1	2.22	1.22	206.44	39,255.58	0.81
		2017-18	140.77	1	4.04	3.04	427.94	38,880.01	1.66
		2018-19	176.752	1	2.94	1.94	342.90	31,285.00	1.07
	VI	2016-17	219.542	1	2.11	1.11	243.69	39,255.58	0.96
		2017-18	373.687	1	2.60	1.60	597.90	38,880.01	2.32
		2018-19	324.001	1	1.77	0.77	249.48	31,285.00	0.78
		2020-21	51.928	1	5.17	4.17	216.54	51,515.00	1.12
	VII	2020-21	619.476	0.5	0.96	0.46	284.96	51,515.00	1.47
	VIII	2016-17	690.272	1	1.02	0.02	13.81	39,255.58	0.05
		2017-18	787.366	1	1.26	0.26	204.72	38,880.01	0.80
		2020-21	547.078	0.5	0.92	0.42	229.77	51,515.00	1.18
						कुल (ख)	**3,018.15**		**12.22**
						कुल योग (क+ख)	**3,688.67**		**15.64**

स्रोत: कंपनी द्वारा प्रदान की गई जानकारी और हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग टैरिफ आदेश

2016-21 की अवधि के दौरान द्वितीयक ईंधन की अधिक खपत के कारण ₹ 15.64 करोड़ का अधिक व्यय हुआ था। उच्च खपत के मुख्य कारणों में उच्च परिवर्तनीय लागत के कारण कम शेड्यूलिंग तथा फोर्स्ड आउटेज के कारण संयंत्र को चालू करने/बंद करने और ट्रिपिंग की

अधिक संख्या के कारण कम प्लांट लोड फैक्टर थे। पानीपत थर्मल पावर स्टेशन ने अपनी पुरानी यूनिटों[4] के कारण ₹ 12.22 करोड़ मूल्य के अतिरिक्त द्वितीयक ईंधन की खपत की।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (मई 2022) कि अत्यधिक बैकिंग डाउन के कारण बार-बार चालू करना/बंद करना और रोटर के परीक्षण/संतुलन के दौरान उपयोग किए जाने वाला तेल ईंधन की अधिक खपत के कारण थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उत्पादन की उच्च परिवर्तनीय लागत के कारण बैकिंग डाउन निर्देशों के कारण बार-बार चालू करना/बंद करना होता है। प्रबंधन को ईंधन लिंकेज को अनुकूलित करके और संयंत्रों के समय पर रखरखाव/ओवरहालिंग द्वारा इसकी परिवर्तनीय लागत को कम करने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए।

3.3 निपटान न किए गए मात्रा और गुणवत्ता के दावे

कंपनी ने कोयले की आपूर्ति के लिए कोयला कंपनियों अर्थात् सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड और ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के साथ ईंधन आपूर्ति अनुबंध किया। ईंधन आपूर्ति अनुबंध में प्रावधान था कि विक्रेता कोयले की डिलीवरी के सात दिनों के भीतर घोषित ग्रेडेड आधार पर क्रेता को आपूर्ति किए गए कोयले के लिए स्रोत-वार बिल देगा। ईंधन आपूर्ति अनुबंध में ग्रेड स्लिपेज, अंडर लोडिंग/ओवरलोडिंग, कम आपूर्ति, पत्थरों आदि के कारण बिल, गुणवत्ता और मात्रा के दावों के प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। मात्रा के दावों में मुख्य रूप से कम लदान के दावे और कोयले की कम सुपुर्दगी के दावे शामिल हैं। गुणवत्ता के दावों में ग्रेड स्लिपेज के कारण दावे और कोयला खदानों से बिना सैंपल वाले रेक के दावे शामिल थे।

यह अवलोकित किया गया कि मार्च 2021 के अंत तक कंपनी द्वारा ₹ 494.32 करोड़ के मात्रा के दावे और कंपनी द्वारा किए गए ₹ 270.50 करोड़ के गुणवत्ता के दावे लंबित थे। निम्नलिखित तालिका वर्ष 2016-21 के दौरान दर्ज किए गए, वसूल किए गए और लंबित दावों का वर्षवार विवरण दर्शाती है:

तालिका 3.3: कोयले के संबंध में मात्रा और गुणवत्ता के दावों की स्थिति दर्शाने वाले विवरण

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	वर्ष के आरंभ में बकाया दावे	वर्ष के दौरान दर्ज किए गए दावे	वर्ष के दौरान दावों का समाधान किया गया	वर्ष के दौरान वसूल किए गए दावे	वर्ष के अंत में बकाया दावे
	क	ख	ग	घ	ङ = क+ख-ग
क. मात्रा दावे					
2016-17	94.24	29.57	14.66	14.66	109.15
2017-18	109.15	117.25	3.57	3.57	222.83
2018-19	222.83	31.46	2.75	2.75	251.54
2019-20	251.54	234.94	0.70	0.02	485.78
2020-21	485.78	8.52	0	0	494.30
कुल		**421.74**	**21.68**		
ख. गुणवत्ता दावे					
2016-17	49.21	109.76	12.69	8.79	146.28
2017-18	146.28	232.64	60.31	51.94	318.61
2018-19	318.61	157.27	142.15	95.66	333.73
2019-20	333.73	97.45	149.97	47.82	281.21
2020-21	281.21	28.59	39.3	13.12	270.50
कुल		**625.71**	**404.42**		

स्रोत: कंपनी द्वारा प्रदान की गई जानकारी

[4] स्थापना वर्ष - पानीपत थर्मल पावर स्टेशन यूनिट VI-2001, यूनिट VII-2004, यूनिट VIII-2005, दीन बंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट यूनिट 1 और II-2008, राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट यूनिट 1-2010, यूनिट II-2011

कंपनी कोयला कंपनियों के पास दर्ज कुल ₹ 421.74 करोड़ के दावों के प्रति केवल ₹ 21.68 करोड़ (5.14 प्रतिशत) की मात्रा के दावों का समाधान कर सकी। कंपनी ने 2020-21 के दौरान किसी भी दावे का समाधान नहीं किया था।

गुणवत्ता दावों का समाधान 2016 से 2020 के दौरान बढ़ा लेकिन 2020-21 के दौरान कम था।

28 फरवरी 2021 को मात्रा दावों के लिए ₹ 477.86 करोड़ और गुणवत्ता दावों के लिए ₹ 158.21 करोड़ के दावों की वसूली का मामला सीपीएसई विवादों के समाधान के लिए प्रशासनिक तंत्र समिति (एएमआरसीडी) के पास लंबित था। यह देखा गया था कि दावों में साल दर साल वृद्धि हुई थी। दावों के निपटान में विलंब के परिणामस्वरूप निधियों का अवरोधन हुआ जिसके कारण कंपनी द्वारा कार्यशील पूंजी ऋण में वृद्धि हुई। इसके अलावा, दावों की समय पर वसूली से उत्पादन की परिवर्तनीय लागत कम हो सकती है क्योंकि प्राप्त दावों के मूल्य को कोयला मूल्य स्टोर खाता-बही में दर्शाई गई कुल लागत से घटा दिया जाता है। यह अनुशंसा की जाती है कि कंपनी को जल्द से जल्द कोयले के दावों को निपटाने/प्राप्त करने के प्रयास करने चाहिए।

कुछ प्रमुख दावों की चर्चा नीचे की गई है:

3.3.1 कोयले की कम आपूर्ति के लिए मुआवजे की वसूली न करना

कंपनी ने छः[5] कोयला कंपनियों के साथ एक ईंधन आपूर्ति अनुबंध किया। ईंधन आपूर्ति अनुबंध में प्रावधान है कि यदि एक वर्ष के लिए, विक्रेता द्वारा डिलीवरी का स्तर, या क्रेता द्वारा उठान का स्तर उस वर्ष के संबंध में वार्षिक अनुबंधित मात्रा से कम हो जाता है, तो चूककर्ता पक्ष डिलीवरी के स्तर या उठान के स्तर में ऐसी कमी के लिए अन्य पार्टी को, जैसा भी मामला हो (विफल मात्रा) मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। मुआवजे के लिए लागू क्लॉज निम्नानुसार है:

तालिका 3.4: कोयले की सुपुर्दगी/उठान के स्तर के अनुसार मुआवजे की दर

क्रमांक	एक वर्ष में कोयले की सुपुर्दगी/उठान का स्तर	असफल मात्रा के लिए मुआवजे की दर
1	वार्षिक अनुबंधित मात्रा के 100 प्रतिशत से कम लेकिन 90 प्रतिशत तक	शून्य
2	वार्षिक अनुबंधित मात्रा के 90 प्रतिशत से कम लेकिन 85 प्रतिशत तक	10 प्रतिशत
3	वार्षिक अनुबंधित मात्रा के 85 प्रतिशत से कम लेकिन 80 प्रतिशत तक	20 प्रतिशत
4	वार्षिक अनुबंधित मात्रा के 80 प्रतिशत से कम	40 प्रतिशत

स्रोत: कोयला कंपनियों के ईंधन आपूर्ति अनुबंधों से निकाली गई जानकारी

वार्षिक अनुबंध मात्रा, प्राप्त वास्तविक मात्रा, कोयला कंपनियों द्वारा कम आपूर्ति और कंपनी को प्राप्त होने वाली कम आपूर्ति के लिए मुआवजे का विवरण निम्नानुसार था:

[5] मैसर्ज सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, मैसर्ज महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, मैसर्ज ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, मैसर्ज नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, मैसर्ज बीसीसीएल और मैसर्ज वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड।

तालिका 3.5: कोयला कंपनियों से वार्षिक अनुबंधित मात्रा, वास्तविक मात्रा और कम आपूर्ति हेतु वसूल की जाने वाली मुआवजे की राशि

वर्ष	वार्षिक अनुबंधित मात्रा (लाख मीट्रिक टन में)	प्राप्त वास्तविक मात्रा (लाख मीट्रिक टन में)	कोयले की कम आपूर्ति		कोयले की कम आपूर्ति के लिए मुआवजे की राशि (₹ करोड़ में)
			लाख मीट्रिक टन में	प्रतिशत में	
यमुनानगर में दीन बंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट					
कोयला कंपनी का नाम:- सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड					
2011-12	28	22.89	5.11	18.25	3.49
2014-15	28	19.84	8.16	29.15	18.03
2017-18	28	18.56	9.44	33.71	24.09
2018-19	28	17.62	10.38	37.07	34.27
2019-20	28	22.25	5.75	20.53	7.01
कुल (क)					**86.89**
खेदड़ में राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट					
कोयला कंपनी का नाम:- सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड					
2017-18	13.02	7.04	5.98	45.92	3.38
2018-19	13.02	5.03	7.99	61.36	9.34
2019-20	13.02	9.01	4.01	30.80	0.02
कोयला कंपनी का नाम:- नॉर्दन कोलफील्ड्स कंपनी					
2017-18	15	8.44	6.56	43.73	2.68
2019-20	15	8.10	6.91	46.07	3.36
कोयला कंपनी का नाम:- महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड					
2018-19	25.6	8.45	17.15	66.99	1.62
कुल (ख)					**20.40**
पानीपत थर्मल पावर स्टेशन, पानीपत					
कोयला कंपनी का नाम:- सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड					
2017-18	26.65	5.50	21.15	79.36	98.60
2018-19	26.65	15.09	11.56	43.37	43.70
कोयला कंपनी का नाम:- वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड					
2017-18	3	0.84	2.16	71.97	9.70
2018-19	3	1.07	1.93	64.48	8.65
कुल (ग)					**160.65**
कुल योग (क+ख+ग)					**267.94**

स्रोत: कोयला कंपनियों के साथ ईंधन आपूर्ति अनुबंध और कंपनी द्वारा आपूर्ति की गई जानकारी

2011-12 से 2019-20 के दौरान ₹ 267.94 करोड़ के कुल दावे में से ₹ 241.92 करोड़ (90 प्रतिशत) सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड से वसूलनीय थे क्योंकि सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा कोयले की निरंतर कम आपूर्ति (औसत 38.53 प्रतिशत) थी। कंपनी ने कोयला कंपनियों द्वारा भुगतान न करने का मामला एएमआरसीडी को संदर्भित किया (मई 2020), जिसका उत्तर प्रतीक्षित (मार्च 2021) था। तथापि, कंपनी अपने वार्षिक वित्तीय विवरणों में इन वसूलियों का हिसाब नहीं देती है।

आगे संवीक्षा से पता चला कि राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट और पानीपत थर्मल पावर स्टेशन में कोयले की कम आपूर्ति के कारण, इन संयंत्रों की इकाइयां अगस्त 2017 से मार्च 2018 के दौरान 38 दिनों तक बंद रहीं, जिसके कारण ये इकाइयां अपने मानक प्लांट लोड फैक्टर को प्राप्त नहीं कर सकीं और ₹ 36.45 करोड़ (राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट में

₹ 25.70 करोड़ और पानीपत थर्मल पावर स्टेशन में ₹ 10.70 करोड़) की स्थायी लागत अर्जित करने में विफल रहीं।

प्रबंधन ने सूचित किया (मई 2022) कि लंबित दावों को साकार करने के लिए, तीनों बिजली संयंत्रों के अधिकारियों की एक समिति गठित की गई थी (अप्रैल 2019) जो लंबित दावों के समाधान के लिए नियमित रूप से कोयला कंपनियों का दौरा करती थी। इसके अलावा दावों के गैर-निपटान के मामले को वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र (एडीआरएम) को संदर्भित किया गया था, जिसे दिसंबर 2018 के दौरान बंद कर दिया गया था। इसके बाद, लंबित दावों को हल करने के लिए एडीआरएम के स्थान पर भारत सरकार, कोयला मंत्रालय द्वारा सीपीएसई विवादों के समाधान के लिए प्रशासनिक तंत्र (एएमआरसीडी) का गठन किया गया था और उस का निर्णय प्रतीक्षित (मई 2022) है।

3.3.2 नमूना-रहित रेकों पर गुणवत्ता संबंधी दावों की प्राप्ति न होना

दीन बंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट, यमुना नगर को सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड से 28 लाख मीट्रिक टन वार्षिक अनुबंधित मात्रा के साथ कोयले की आपूर्ति प्राप्त हो रही थी। ईंधन आपूर्ति अनुबंध ने विक्रेता को डिलीवरी के सात दिनों के भीतर घोषित ग्रेड के आधार पर आपूर्ति किए गए कोयले के लिए स्रोत-वार बिल देने का प्रावधान किया। कोयले की गुणवत्ता के आकलन के लिए लदान स्थल पर संयुक्त रूप से कोयले के नमूने लिए जाने थे। ईंधन आपूर्ति अनुबंध ने सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के लिए घोषित ग्रेड के आधार मूल्य और कोयले के विश्लेषण किए गए ग्रेड के अंतर की सीमा तक ग्रेड स्लिपेज के कारण नियमित क्रेडिट नोट देने का भी प्रावधान किया।

कंपनी के विभिन्न कोयला दावों के संबंध में याचिका पर, वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र[6] ने निर्णय लिया (मई 2016) कि ग्रेड स्लिपेज दावों को मान्य करने के लिए विवाद से बचने के लिए दोनों पक्षों की उपस्थिति में लोडिंग एंड पर केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान द्वारा तीसरे पक्ष के कोयले का नमूना लिया जाएगा। तदनुसार, लोडिंग एंड पर कोयले के नमूना संग्रहण, तैयारी, परीक्षण और विश्लेषण के लिए कंपनी, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड तथा केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान के मध्य एक त्रिपक्षीय अनुबंध निष्पादित किया गया (सितंबर 2016) था। त्रिपक्षीय अनुबंध के क्लॉज 1 में प्रावधान है कि केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान लागू ईंधन आपूर्ति अनुबंध के संबंध में कोयले के संग्रहण, तैयारी और विश्लेषण के लिए पूरी तरह उत्तरदायी होगा। अनुबंध के क्लॉज 8 में आगे प्रावधान है कि केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान कोयले के नमूने का एक हिस्सा लोडिंग एंड पर कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि या कंपनी द्वारा तैनात किसी अन्य एजेंसी को सौंप देगा। क्लॉज 13 में आगे प्रावधान है कि कोयला कंपनी और थर्मल प्लांट के प्रतिनिधियों द्वारा नमूना संग्रहण और तैयारी को देखा जाएगा। कंपनी ने अपनी की ओर से कोयले का नमूना देखने के लिए एक कोल हैंडलिंग एजेंट नियुक्त किया (जून 2015)। कोयले

[6] कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्थापित पूर्ववर्ती दावा निपटान तंत्र।

के प्रेषण के संबंध में कोयला कंपनी, रेलवे और अन्य एजेंसियों के साथ संपर्क का कार्य भी कोयला हैंडलिंग एजेंट के दायरे में था।

यह अवलोकित किया गया कि केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान नवंबर 2016 से अगस्त 2018 के दौरान भेजे गए 291 रेकों से नमूने नहीं ले सका। कोल हैंडलिंग एजेंट और केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान के मध्य समन्वय की कमी के कारण केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान प्रारंभिक अवधि (नवंबर 2016 से जून 2017) के दौरान सभी नमूने एकत्र करने में विफल रहा। इसके अलावा, जून 2018 से अगस्त 2018 के दौरान, कोयले को एक नई साइडिंग (केयूजेयू) से भेजा गया था, जहां से केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान और कोल हैंडलिंग एजेंट के मध्य समन्वय की कमी के कारण बिना सैंपल के रेक भेजे गए थे।

तदनुसार, केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान द्वारा लोडिंग प्वांइट पर कोयले का गुणवत्ता विश्लेषण नहीं किया गया था। हालांकि, कंपनी ने अनलोडिंग एंड पर किए गए कोयला सैंपलिंग विश्लेषण के आधार पर ऐसे बिना सैंपल वाले कोयला रेक के ग्रेड स्लिपेज दावे तैयार किए, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 3.6: कोयला कंपनी से प्राप्त गैर-नमूना रेक और उनके दावे

क्रमांक	रेकों की प्राप्ति की अवधि		प्राप्त नमूना-रहित रेकों की कुल संख्या	कोयला कंपनी का नाम	दावा प्रस्तुत करने का माह	दावों की राशि (₹ करोड़ में)
	से	तक				
1	नवंबर 2016	जून 2017	135	मैसर्ज सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	नवंबर 2017	19.04
2	जून 2018	अगस्त 2018	149	मैसर्ज सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	अक्तूबर 2018	27.99
3	नवंबर 2016	जून 2017	7	मैसर्ज महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	नवंबर 2017	1.03
	कुल		**291**			**48.06**

स्रोत: कोयले के दावों से संबंधित कंपनी के अभिलेख

यह अवलोकित किया गया कि कोयला कंपनियों के विभिन्न स्थलों पर कोयले की लोडिंग के पर्यवेक्षण के लिए सैंपलिंग एजेंसी (केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान) की नियुक्ति और कोल हैंडलिंग एजेंट की नियुक्ति के बावजूद, कंपनी को भेजे गए कोयला रेक का नमूना नवंबर 2016 से अगस्त 2018 के दौरान अनिश्चित था। कंपनी ने अनुबंध (केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान के साथ) में कोई पेनल्टी क्लॉज शामिल नहीं की थी, यदि रेक का नमूना न लिया गया हो।

लोडिंग एंड नमूना विश्लेषण रिपोर्ट की अनुपलब्धता के कारण, ग्रेड स्लिपेज दावों को एएमआरसीडी के आदेशों के अनुसार संसाधित नहीं किया गया था और कोयला कंपनियों से कोई क्रेडिट नोट प्राप्त नहीं हुआ था। इसलिए, ₹ 48.06 करोड़ के दावे कोयला कंपनियों के पास लंबित (दिसंबर 2021) पड़े हैं।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (मई 2022) कि प्रारंभ में सीआईएमएफआर अनुचित नमूनाकरण स्थितियों के कारण सभी कोलियरी/साइडिंग पर नमूना लेना शुरू नहीं कर सका। हालांकि, दीन

बंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड को घोषित ग्रेड के आधार पर दावों के निपटान के लिए जोर दे रहा है और मामला एएमआरसीडी के समक्ष भी उठाया जा रहा है।

3.3.3 बेकार मालभाड़े से संबंधित मुआवजे की वसूली न होना

रेलवे के माध्यम से कंपनी के थर्मल पावर प्लांट में कोयले का परिवहन किया जाता है, जिसके लिए वह वैगन की अनुमेय वहन क्षमता[7] के आधार पर माल ढुलाई करती है। ईंधन आपूर्ति अनुबंध के अनुसार, किसी भी खेप के लिए रेलवे द्वारा ओवरलोडिंग के लिए कोई दंडात्मक भाड़ा क्रेता (कंपनी) द्वारा देय था और स्टैंसिल्ड कैरिंग कैपेसिटी[8] से कम लदान के लिए कोई बेकार मालभाड़ा, जैसा कि वैगन या वहन क्षमता[9] पर दिखाया गया है, जो वास्तविक टैयर वेट[10], जैसा भी मामला हो, के आधार पर दो टन विक्रेता अर्थात् कोल कंपनी द्वारा वहन किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि कंपनी और कोयला कंपनियों के मध्य ईंधन आपूर्ति अनुबंध में अनुमेय वहन क्षमता का उल्लेख नहीं किया गया था जिस पर रेलवे मालभाड़ा प्रभारित करता है। इसके अलावा, ईंधन आपूर्ति अनुबंध अंडरलोडिंग दावों के लिए ली जाने वाली क्षमता के बारे में स्पष्ट नहीं था क्योंकि कंपनी अपने दावों को प्रस्तुत करने के लिए वहन क्षमता ले रही थी लेकिन कोयला कंपनियां दावों की प्रतिपूर्ति के लिए स्टैंसिल्ड कैरिंग कैपेसिटी पर विचार कर रही थीं।

उदाहरणार्थ:

अनुमेय वहन क्षमता = 70टी, वहन क्षमता = 66टी, स्टैंसिल्ड कैरिंग कैपेसिटी = 64टी और वास्तविक वजन = 60टी

इस मामले में,

- रेलवे द्वारा लिया गया मालभाड़ा = 70टी
- कोयला कंपनियों से कंपनी द्वारा दावा किए गए निष्क्रिय मालभाड़ा/अंडर लोडिंग प्रभार = (वहन क्षमता + 2) - वास्तविक भार = (66 + 2) - 60 = 8टी
- कोयला कंपनियों द्वारा प्रतिपूर्ति किए गए निष्क्रिय मालभाड़ा/अंडर लोडिंग प्रभार = (स्टैंसिल्ड कैरिंग कैपेसिटी + 2) - वास्तविक भार = (64+2) - 60 = 6टी

कंपनी ने अप्रैल 2016 से मार्च 2021 के दौरान बेकार पड़े मालभाड़े के कारण ₹ 99.60 करोड़ का दावा किया, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

---

7 अनुमत वहन क्षमता रेलवे द्वारा तय की गई वैगन की अधिकतम वहन क्षमता है जो विभिन्न कारकों जैसे मार्ग और माल के प्रकार के आधार पर तय की जाती है।

8 स्टैंसिल्ड वहन क्षमता वैगन की 'चिह्नित क्षमता' है।

9 वैगन की वहन क्षमता उस भार पर आधारित होती है जिसे वैगन के एक्सल ले जा सकते हैं।

10 टेयर भार एक खाली कंटेनर का वजन है।

तालिका 3.7: बेकार मालभाड़े के संबंध में दावों को दर्शाने वाले विवरण

(₹ करोड़ में)

अवधि	सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	बीसीसीएल	नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	डबल्यूसीएल	कुल
2016-17	17.76	1.74	4.68	1.81	0.00	0.70	26.69
2017-18	9.01	4.45	3.42	1.19	1.41	0.44	19.92
2018-19	10.41	6.62	5.20	5.98	1.62	0.43	30.26
2019-20	9.36	3.41	1.83	4.63	0.21	0.35	19.79
2020-21	2.49	0.06	0.23	0.09	0.07	0.00	2.94
कुल	**49.03**	**16.28**	**15.36**	**13.70**	**3.31**	**1.92**	**99.60**

स्रोत: कंपनी से प्राप्त जानकारी

चूंकि ईंधन आपूर्ति अनुबंध अंडरलोडिंग दावों के लिए ली जाने वाली क्षमता के बारे में स्पष्ट नहीं था, कोयला कंपनियों द्वारा ₹ 99.60 करोड़ के दावों को स्वीकार (दिसंबर 2021) नहीं किया गया था।

इस प्रकार, कोयला कंपनी के साथ ईंधन आपूर्ति अनुबंध करते समय, कंपनी को बेकार मालभाड़ा प्रभारों का दावा करने के लिए उपयुक्त स्पष्ट प्रावधान शामिल करना चाहिए था।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (मई 2022) कि दावों के निपटान न करने के मामले को वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र (एडीआरएम) को भी संदर्भित किया गया था जिसे दिसंबर 2018 के दौरान बंद कर दिया गया था। इसके बाद, वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के स्थान पर एक नये फोरम अर्थात् एएमआरसीडी का गठन किया गया था। लंबित दावों का समाधान और उस का निर्णय प्रतीक्षित (मई 2022) है।

3.4 विपथित रेकों के लिए रेलवे को भुगतान किए गए अंतरीय मालभाड़े की वसूली न करना

रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय, भारत सरकार ने पारगमन के दौरान कोयला रेक के परिवर्तन के संबंध में संशोधित नियम और प्रक्रिया जारी की (जनवरी 2014)। इन नियमों के पैरा 29 के अनुसार, रेलवे का संबंधित कार्यालय पार्टी द्वारा दिए गए नोटिस की प्राप्ति के बाद अंतरीय मालभाड़े को लौटाने की पहल करेगा। इसके अलावा, भारतीय रेल अधिनियम, 1989 की धारा 106 (3) में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति रेलवे द्वारा ढोए गए माल के संबंध में अधिप्रभार के रिफंड का हकदार नहीं होगा जब तक कि उसके द्वारा या उसकी ओर से इस तरह के भुगतान की तारीख से छः माह के भीतर या गंतव्य स्टेशन पर ऐसे सामान की डिलीवरी की तारीख तक, जो भी बाद में हो, रेलवे को नोटिस नहीं दिया गया हो।

कोयला कंपनियां कंपनी के विद्युत स्टेशनों अर्थात् पानीपत थर्मल पावर स्टेशन, पानीपत, दीन बंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट, यमुना नगर और राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट, हिसार में रेल माध्यम से कोयले की आपूर्ति करती हैं। इस संबंध में भारतीय रेलवे के साथ एक त्रिपक्षीय अनुबंध किया गया था। इन संयंत्रों में कोयला खदानों से राजीव गांधी थर्मल

पावर प्लांट, हिसार तक की दूरी और मालभाड़ा अधिकतम था। किसी भी संयंत्र को भेजे गए किसी भी रेक के लिए देय मालभाड़ा रेलवे द्वारा कंपनी के बैंक खाते से स्वचालित रूप से डेबिट कर दिया गया था। यदि कोई रेक कंपनी के किसी अन्य संयंत्र की ओर मोड़ा गया था, तो अंतरीय भाड़ा रिफंड के लिए देय हो गया।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि दिसंबर 2015 से मार्च 2021 के दौरान 184 रेकों को राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट, हिसार संयंत्र से अन्य विद्युत संयंत्रों (175 रेक पानीपत थर्मल पावर स्टेशन और नौ रेक दीन बंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट को) की ओर मोड़ दिया गया था। तदनुसार, रेलवे से रिफंड के लिए ₹ 8.43 करोड़ का अंतरीय भाड़ा देय था। ₹ एक करोड़ रेलवे द्वारा रिफंड कर दिए गए थे और ₹ 7.43 करोड़ भारतीय रेलवे से सितंबर 2021 तक वसूल किए जाने शेष थे। 33 मामलों में ₹ 0.78 करोड़ के भुगतान किए गए अतिरिक्त मालभाड़े के रिफंड के लिए कंपनी के अनुरोध को रेलवे ने इस आधार पर खारिज कर दिया था कि इन मामलों को रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 106 (3) के अंतर्गत प्रावधान के अनुसार निर्धारित समय अर्थात् छः माह की समाप्ति के बाद प्राथमिकता दी गई थी और समयबाधित थे।

इस प्रकार, राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट संयंत्र द्वारा विपथित किए गए रेकों के दावों को दर्ज करने के लिए समय पर कार्रवाई शुरू करने की कमी के परिणामस्वरूप ₹ 6.65 करोड़[11] (सितंबर 2021) के अन्य दावों की वसूली न होने के जोखिम के अलावा ₹ 0.78 करोड़ के दावों की अस्वीकृति हुई।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (मई 2022) कि हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने रेलवे बोर्ड, दिल्ली से मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया था।

3.5 वस्तुसूची प्रबंधन और कलपुर्जों की खरीद

3.5.1 वस्तुसूची प्रबंधन

हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड खरीद और निर्माण विनियम, 2015 में अपेक्षित है कि वस्तुओं की खरीद के लिए मांगपत्र तब प्रस्तुत किया जाना चाहिए जब स्टॉक में मात्रा संबंधित वस्तुओं के लिए निर्धारित "पुन:आदेश स्तर" पर पहुंच गई हो। इस तरह के मांग-पत्र/मांगें, अन्य विवरणों के साथ, पुन:आदेश मात्रा, स्टॉक (स्टॉक पर विचार करते समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कोई मद किसी विशिष्ट उपयोग के लिए आरक्षित नहीं रखी गई है), लंबित खरीद आदेश, खपत आंकड़े, सुरक्षा स्टॉक आदि भी इंगित करना चाहिए। परियोजनाओं या पूंजीगत उपकरणों/कलपुर्जों के लिए एकमुश्त खरीद को समुचित रूप से उचित ठहराया जाना चाहिए। अप्रचलन कारक को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए अर्थात खरीदे जाने वाले उपकरण बाजार में उपलब्ध नवीनतम विनिर्देशों और प्रौद्योगिकी के अनुरूप होने चाहिए।

[11] ₹ 7.43 करोड़ घटा ₹ 0.78 करोड़ = ₹ 6.65 करोड़।

अभिलेखों की संवीक्षा में निम्नलिखित बिन्दुओं का पता चला:

- तीनों संयंत्रों ने मदवार वस्तुसूची नियंत्रण तकनीक अर्थात न्यूनतम स्तर, अधिकतम स्तर, पुन: आदेश स्तर और सामग्री के खतरे के स्तर को तैयार नहीं किया। परिणामस्वरूप, संयंत्रों ने खरीद प्रक्रिया तब शुरू की जब संबंधित वस्तुओं की स्टॉक स्थिति या तो शून्य या बहुत कम थी।

- दीन बंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट ने दो खरीद आदेशों के माध्यम से अगस्त 2019 और अक्तूबर 2020 के दौरान खरीदे गए ₹ 0.79 करोड़ मूल्य के मशीनरी कल-कलपुर्जों को अभी तक जारी नहीं किया था (जुलाई 2021)।

- नवंबर 2012 और जून 2015 के दौरान खरीदे गए ₹ 8.88 करोड़[12] मूल्य के फर्नेस ऑयल का उपयोग नहीं किया गया (जुलाई 2021)। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च प्रदूषक सामग्री और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव के कारण फर्नेस ऑयल के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया (नवंबर 2017)। इसलिए, भविष्य में इस फर्नेस ऑयल के उपयोग की संभावना बहुत कम थी लेकिन कंपनी ने इसके निपटान के लिए कोई कार्रवाई नहीं की।

- दोनों यूनिटों (दीन बंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट की यूनिट-I और II) की दो बार (2012-13 और 2018-20) कैपिटल ओवरहालिंग किए जाने के बाद भी ₹ 186.74 करोड़[13] मूल्य के अनिवार्य और अनुशंसात्मक कलपुर्जों[14] का अभी भी उपयोग किया जाना था (जुलाई 2021)। यूनिट-I और II को 2008 के दौरान शुरू किया गया था और उन्होंने 2021 तक अपने जीवन का लगभग आधा हिस्सा पूरा कर लिया था और दोनों यूनिटों की कैपिटल ओवरहालिंग दो बार (दिसंबर 2021) की गई है। इसके अलावा, राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट की यूनिट-I और यूनिट-II को 2010 के दौरान शुरू किया गया था और उन्होंने 2021 तक अपना लगभग आधा जीवन पूरा कर लिया है। इसलिए, इस अनिवार्य सामग्री के उपयोग की संभावना बहुत कम थी।

- पानीपत थर्मल पावर स्टेशन-I की यूनिट-I से यूनिट-IV के ₹ 47.37 करोड़ मूल्य के कलपुर्जों, जिनका सर्वेक्षण किया गया था, को नष्ट कर दिया गया था और उनका निपटान किया गया था, अंतिम निपटान के लिए स्टोर में पड़े थे।

- साथ ही, पानीपत थर्मल पावर स्टेशन-II की यूनिट V के ₹ 7.46 करोड़ मूल्य के कलपुर्जे, जो बंद हो चुके थे और निपटान के अधीन थे, अंतिम निपटान के लिए

---

12 दीन बंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट- ₹ 2.18 करोड़ और राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट- ₹ 6.70 करोड़।

13 दीन बंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट- ₹ 36.70 करोड़ (₹ 18.73 करोड़ + ₹ 17.97 करोड़) और राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट- ₹ 150.04 करोड़ (₹ 56.55 करोड़ + ₹ 93.49 करोड़)

14 ये कलपुर्जे ईपीसी ठेकेदार द्वारा 2008-13 के संयंत्रों के चालू होने के समय सौंपे गए थे और इनका अभी तक संयंत्रों द्वारा उपयोग नहीं किया गया था।

स्टोर में पड़े थे। इस प्रकार, संयंत्र में आवश्यक वस्तुसूची का निपटान नहीं किया गया है।

प्रबंधन ने सूचित किया (मई 2022) कि ईआरपी प्रणाली लागू की जा रही है और इसके कार्यान्वयन के बाद विभिन्न सूची नियंत्रण उपायों को तय किया जाएगा। दीन बंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट के फर्नेस ऑयल की नीलामी की जा चुकी है और राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट में फर्नेस ऑयल की नीलामी होनी बाकी है। इसके अलावा, कमीशनिंग पैकेज के अनुसार प्राप्त अनिवार्य पुर्जों का उपयोग यूनिटों के जीवनकाल के दौरान किया जाना था और वर्तमान में साइट की आवश्यकता के अनुसार उपयोग किया जा रहा है। उत्तर इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए स्वीकार्य नहीं है कि हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सभी यूनिटों की कैपिटल ओवरहालिंग पूरी हो चुकी है और यूनिटों के आधे उपयोगी जीवन की अवधि समाप्त हो चुकी है, सामग्री का उपयोग किया जाना बाकी है। इसके अलावा, कंपनी को राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट पर फर्नेस ऑयल के निपटान के लिए शीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए।

3.5.2 हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग मानदंडों से अधिक वस्तुसूची

हरियाणा विद्युत नियामक आयोग ने कलपुर्जों और अन्य रखरखाव उपकरणों आदि के लिए विद्युत संयंत्रों की वस्तुसूची को अनुकूलित करने के लिए टैरिफ आदेशों को मंजूरी देते हुए निर्देश जारी किया। हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग ने 2016-17 से 2020-21 तक की अवधि के दौरान टैरिफ उत्पादन को मंजूरी देते हुए संचालन और रखरखाव व्यय के 10/15 प्रतिशत की वस्तुसूची की अनुमति दी थी।

कंपनी की खरीद नियमावली के अनुसार, सामग्री की खरीद न्यूनतम आवश्यकता तक सीमित होनी चाहिए ताकि स्टॉक की खपत के लिए आसानी से उपलब्ध होने के अलावा अधिक स्टॉकिंग से बचा जा सके। नीचे दी गई तालिका हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग के मानदंडों के विरूद्ध अतिरिक्त परिचालन एवं अनुरक्षण स्पेयर्स के लिए सभी संयंत्रों के संबंध में 2016-21 के दौरान मानक परिचालन एवं अनुरक्षण स्पेयर्स, वास्तविक और ब्याज की परिणामी हानि को दर्शाती है:

तालिका 3.8: परिचालन एवं अनुरक्षण स्पेयर्स पर कार्यशील पूंजी की आवश्यकताएं और ब्याज की हानि

(₹ करोड़ में)

वर्ष	परिचालन एवं अनुरक्षण स्पेयर्स के लिए आवश्यक कार्यशील पूंजी			हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अनुमत ब्याज दर (प्रतिशत में)	ब्याज की हानि
	मानक	वास्तविक	आधिक्य		
क. दीन बंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट, यमुनानगर					
2016-17	16.25	59.05	42.80	10.55	4.52
2017-18	22.35	65.91	43.56	10.55	4.60
2018-19	23.24	63.11	39.87	9.95	3.97
2019-20	24.17	37.86	13.69	9.95	1.36
2020-21	21.48	36.49	15.03	8.65	1.30
				कुल (क)	**15.75**

वर्ष	परिचालन एवं अनुरक्षण स्पेयर्स के लिए आवश्यक कार्यशील पूंजी			हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अनुमत ब्याज दर (प्रतिशत में)	ब्याज की हानि
	मानक	वास्तविक	आधिक्य		
ख. राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट, खेदड़					
2016-17	18.01	87.76	69.75	10.55	7.36
2017-18	27.69	86.19	58.50	10.55	6.17
2018-19	28.80	85.01	56.21	9.95	5.59
2019-20	29.95	68.89	38.94	9.95	3.87
2020-21	25.99	67.01	41.02	8.65	3.55
				कुल (ख)	**26.54**
ग. पानीपत थर्मल पावर स्टेशन, पानीपत					
2016-17	24.52	178.05	153.53	10.55	16.20
2017-18	26.52	155.93	129.41	10.55	13.65
2018-19	31.39	148.58	117.19	9.95	11.66
2019-20	29.83	147.41	117.58	9.95	11.70
2020-21	28.79	142.20	113.41	8.65	9.81
				कुल (ग)	**63.02**
				कुल (क+ख+ग)	**105.31**

स्रोत: वर्ष 2016-17 से 2020-21 के लिए हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग के ट्रायल बैलेंस और टैरिफ आदेशों से संकलित

यह देखा गया है कि परिचालन एवं अनुरक्षण स्पेयर्स में शामिल कार्यशील पूंजी कंपनी के तीनों संयंत्रों में हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग के निर्धारित मानदंडों से अधिक थी। तदनुसार, कंपनी टैरिफ के माध्यम से परिचालन एवं अनुरक्षण स्पेयर्स में शामिल अतिरिक्त कार्यशील पूंजी पर ₹ 105.31 करोड़ की ब्याज राशि की वसूली नहीं कर सकी।

प्रबंधन ने स्वीकार किया (मई 2022) कि सूची स्तर हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित मानदंडों से अधिक था और बताया कि सूची को हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग के निर्धारित मानदंडों के भीतर रखने के प्रयास किए जा रहे हैं।

3.5.3 खरीद प्रक्रिया में कमी

कंपनी ने कलपुर्जों की खरीद के लिए मामलों को संसाधित करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की है। आईडिया के माध्यम से चयनित ₹ 183.63 करोड़ मूल्य के 117 क्रय आदेशों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में निम्नानुसार से क्रय आदेश देने में लगने वाले समय का पता चला।

तालिका 3.9: चयनित खरीद आदेश देने में लिया गया समय और उनका मूल्य

आवश्यकता/मांग के बाद से क्रय आदेश को अंतिम रूप देने में लिया गया समय	दीन बंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट		राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट		पानीपत थर्मल पावर स्टेशन	
	खरीद आदेशों की संख्या	मूल्य (₹ करोड़ में)	खरीद आदेशों की संख्या	मूल्य (₹ करोड़ में)	खरीद आदेशों की संख्या	मूल्य (₹ करोड़ में)
180 दिनों से कम	12	11.56	20	55.32	9	37.82
180 से 360	15	15.33	16	13.77	11	36.42
360 दिनों से अधिक	10	7.23	7	2.13	17	4.05
कुल	**37**	**34.12**	**43**	**71.22**	**37**	**78.29**

स्रोत: कंपनी से प्राप्त और खरीद आदेश फाइलों से संकलित जानकारी

आगे संवीक्षा से पता चला कि उपयोगकर्ताओं द्वारा आवश्यकता की तारीख से सामग्री की खरीद के लिए खरीद आदेश देने में दीन बंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट ने 65 दिन से 519 दिन, राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट ने 31 दिन से 584 दिन और पानीपत थर्मल पावर स्टेशन ने 39 दिन से 652 दिन (न्यूनतम से अधिकतम) का समय लिया था। दीन बंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट में खरीद आदेश देने का औसत समय 257 दिन, राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट में 223 दिन और पानीपत थर्मल पावर स्टेशन में 328 दिन था। दीन बंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट में क्रय आदेश देने का औसत समय 261 दिन, राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट में 203 दिन और पानीपत थर्मल पावर स्टेशन में 336 दिन था ***(परिशिष्ट 3.1)।***

इसके अलावा, उपयोगकर्ताओं को यह सामग्री दीन बंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट में 106 दिनों से 987 दिनों के बाद, राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट 100 दिनों से 919 दिनों के बाद और पानीपत थर्मल पावर स्टेशन 302 दिनों से 1600 दिनों के बाद (न्यूनतम से अधिकतम) प्राप्त हुई। उपयोगकर्ताओं द्वारा सामग्री प्राप्त करने का औसत समय दीन बंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट में 474 दिन, राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट में 412 दिन और पानीपत थर्मल पावर स्टेशन में 682 दिन था। उपयोगकर्ताओं द्वारा सामग्री प्राप्त करने का औसत समय दीन बंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट में 446 दिन, राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट में 350 दिन और पानीपत थर्मल पावर स्टेशन में 614 दिन था।

आगे संवीक्षा से पता चला कि दीन बंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट में ₹ 2.04 करोड़ मूल्य के दस मामलों में सामग्री की आवश्यकता प्रस्तुत करते समय, उपयोगकर्ताओं ने विशेष रूप से उल्लेख किया था कि सामग्री की तत्काल आवश्यकता थी। अत्यावश्यकता के बावजूद, संयंत्र को उपयोगकर्ताओं को सामग्री की आपूर्ति करने में 167 से 898 दिन लगे। लेखापरीक्षा संवीक्षा से आगे पता चला कि तत्काल खरीद के दस मामलों में से ₹ 1.70 करोड़ मूल्य के छः मामलों में सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था।

कंपनी ने अपने कार्य और खरीद विनियम, 2015 में सामग्री की खरीद के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की है जो आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की कमजोरी है।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (मई 2022) कि खरीद के विभिन्न तरीकों (मालिकाना, सीमित निविदा पूछताछ और प्रेस निविदा पूछताछ) को ध्यान में रखते हुए, मामले को अंतिम रूप देने और साइट की स्थिति के अनुसार सामग्री की खपत के लिए अलग-अलग समय अवधि की आवश्यकता होती है, लेखापरीक्षा अनुच्छेद में उल्लिखित समयावधि के अंतर से बचा नहीं जा सकता है। यह आश्वासन दिया गया कि खरीद में लगने वाले समय को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

3.6 निष्कर्ष

कंपनी के तीनों विद्युत संयंत्रों का कोयला खपत पैटर्न 2019-20 और 2020-21 के दौरान राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट (यूनिट-II) को छोड़कर अपनी यूनिटों के संबंध में हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अनुमोदित कोयले के मानदंडों के भीतर था।

मात्रा और गुणवत्ता के दावों में कोयला कंपनियों की कम आपूर्ति के लिए मुआवजा, नमूना न किए गए रेक पर गुणवत्ता के दावे और बेकार माल ढुलाई से संबंधित मुआवजे शामिल हैं। 2016-21 के दौरान मात्रा दावों के कारण ₹ 421.74 करोड़ के लिए दर्ज किए गए कुल दावों में से, कंपनी 2016-17 से 2020-21 के दौरान ₹ 21.68 करोड़ (केवल 5.14 प्रतिशत) के दावों का समाधान कर सकी। कंपनी द्वारा कोयला आपूर्ति कंपनियों के साथ किए गए ₹ 494.32 करोड़ के मात्रा दावे और ₹ 270.50 करोड़ के गुणवत्ता के दावे 31 मार्च 2021 तक लंबित थे। दावों के निपटान में देरी के परिणामस्वरूप निधियों का अवरोधन हुआ।

दिसंबर 2015 से मार्च 2021 के दौरान विपथित रेकों के कारण रेलवे से रिफंड के लिए ₹ 8.43 करोड़ का अंतरीय मालभाड़ा बकाया था, जिसमें से रेलवे ने ₹ एक करोड़ का भुगतान किया और ₹ 7.43 करोड़ सितंबर 2021 तक भारतीय रेलवे से वसूल किया जाना बाकी था। 33 मामलों में ₹ 0.78 करोड़ की राशि रेलवे द्वारा इस आधार पर अस्वीकृत कर दी गई थी कि इन मामलों को निर्धारित समय की समाप्ति के बाद प्राथमिकता दी गई थी और समयबाधित थे।

परिचालन एवं अनुरक्षण स्पेयर्स में शामिल कार्यशील पूंजी कंपनी के तीनों संयंत्रों में हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग के निर्धारित मानदंडों से अधिक थी और इसलिए कंपनी टैरिफ के माध्यम से परिचालन एवं अनुरक्षण स्पेयर्स में शामिल अतिरिक्त कार्यशील पूंजी पर ₹ 105.31 करोड़ की ब्याज राशि की वसूली नहीं कर सकी।

कंपनी के तीन संयंत्रों (दीन बंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट, राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट और पानीपत थर्मल पावर स्टेशन) द्वारा आवश्यकता की तारीख से खरीद आदेश देने में लिया गया औसत समय सामग्री की खरीद के लिए 223 और 328 दिनों के मध्य था। आगे, उपयोगकर्ताओं को इन संयंत्रों में यह सामग्री उनकी आवश्यकताओं के 412 से 682 दिनों के मध्य के औसत दिनों के बाद प्राप्त हुई। कंपनी ने अपने कार्य और खरीद विनियम, 2015 में सामग्री की खरीद के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की है जो आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की कमजोरी है।

3.7 सिफारिशें

कंपनी

- कोयला आपूर्ति कंपनियों के साथ उनके शीघ्र निपटान के लिए मात्रा और गुणवत्ता के दावों को आगे बढ़ाए।
- कोयला कंपनियों द्वारा भेजे गए सभी कोयला रेक का गुणवत्ता विश्लेषण सुनिश्चित करे।
- रेलवे के साथ अपने दावों को आगे बढ़ाए।
- सुनिश्चित करे कि उपयोग की गई निधियों पर ब्याज के वित्तीय बोझ से बचने के लिए हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार वस्तुसूची स्तर बनाए रखा गया है।
- अपने कार्य और खरीद विनियमों में खरीद मामलों को संसाधित करने के लिए एक नजदीकी तिथि निर्धारित करे, जैसा कि आश्वासन दिया गया है।